Annexure-I

Form-1

(For linear project)
Government of Uttrakhand
Office of the District Collector-Uttarkashi

No...172/2018 Dated. 9-5-2018

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of the environment and forests (MOEF),Government of India's letter no 11-9/98-FC(pt-) dated 3rd august 2009wher in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006('FRA' for short)on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain be relaxation in respect of linear project ,it is certified that **3.8385** hect. Of forest land proposed to be diverted in favour of **P.M.G.S.Y.I.D. Purola Uttarkashi** (Uttarakhand) for New Construction **Odata to Saras Motor** Road district falls within jurisdiction of Saras villager(s) in Mori tehsil.

It is further certified that:

a) The complete process for identification and settlement of rights under FRA, has been carried out for the entire **3.8385** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee(s), Gram Sabha(s) Sub-Division level Committee(s) and the District level Committee are enclosed as annexure 23 to annexure 23.2

b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Sub-Division level Committee given their consent to it;

c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl.:-as above.

जिलाधिकारी

(Dr. Ashish Chauhan)
District Magistrate,
Uttarkashi

Scanned by CamScanner

Annexure.....

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT –Uttarkashi (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional Forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA) 2006.

A meeting of the district level committee of uttarkashi district, constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of **Dr Ashish Chauhan I.A.S. District Magistrate Uttarkashi** on date.8.6.2018 At time..3..PM At Uttarkashi in which application claiming rights in forest land area measuring **3.8385** hect for the construction of **Odata to Saras Motor Road under PMGSY** of forest land Under FRA 2006 of the following applicant dully processed and recommended by the sub division level committee of **Purola** were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection / claims were found to have been made & hence District level committee recommended the above case for diversion of land for the said purpose.

Place.उत्तरकाशी
Dated....8-6-2018

(Dr. Ashish Chauhan)
District Magistrate,
Uttarkashi

Scanned by CamScanner

It is certified that- Minutes of meeting of Construction of Odata to Saras Motor Road Km. 6.00 Motor Road regarding FRA is as following

Sr. No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire 3.8385 hect. Of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the Forest Right Committee(s), sub division Level Committee are enclosed as annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The Diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the villagers have given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate concerned villages regarding construction of aforesaid Motor Road attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached and there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.

(Dr. Ashish Chauhan)
District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee
Uttarkashi

Scanned by CamScanner

प्रारूप–30.2

परियोजना का नाम :– जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ....
ओडाला से सरास .... मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पुरोला
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, मोरी

उपखण्ड मोरी ...... परिक्षेत्र के अन्तर्गत ओडाला से सरास .... मोटर मार्ग निर्माण हेतु (... ... ... हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 3.8385 1.7325 हे0 आरक्षित वन भूमि, 2.025 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि शून्य .... हे0 वन भूमि) का सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, पुरोला प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पुरोला) की दिनांक 17/01/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री .... उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री P.S. Rana उपजिलाधिकारी ———— अध्यक्ष
2– श्री आर0एन0 श्रीवास्तव उप प्रभागीय वनाधिकारी ———— सदस्य
3– श्री मोनू कुमार गौतम सहायक समाज कल्याण अधिकारी ———— सदस्य/सचिव
4– श्री मती राधा देवी ———— बी0डी0सी0 क्षेत्र ओडाला/सरास ———— सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि ओडाला से सरास .... मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना हेतु 3.8385 ... हे0 वन भूमि सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0 पुरोला प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है।

उक्त भूमि का सर्वधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है। संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, टौंस वन प्रभाग पुरोला द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड मोरी ...... परिक्षेत्र के अन्तर्गत ओडाला से सरास .... मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 3.8385 हे0 वन भूमि सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, पुरोला प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– मोरी
जनपद उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– मोरी
जनपद– उत्तरकाशी

Scanned by CamScanner

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ओडाटा से सरास मोटर मार्ग किमी0 6.00 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण हेतु वनभूमि 3.8385 है0 वनभूमि हस्तान्तरण किया जाना है। जिला स्तरीय समिति द्वारा दिनांक 8-6-2018 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी है बैठक में निम्न अधिकारी एवं सदस्य गण उपस्थित हुये है।

क्र0सं	अधिकारी / सदस्यों का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्री आशीष चौहान	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी	जिलाधिकारी उत्तरकाशी
2	श्री आर० पी० मिश्रा	प्रभागीय वनाधिकारी टौन्स वन प्रभाग, पुरोला	
3	श्री जीत सिंह रावत	जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी	जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी
4	श्री जितेन्द्र राणा	जिला पंचायत सदस्य टकनौर	
5	श्रीमति अनिता गुसाई	जिला पंचायत सदस्य कन्सेण	
6	श्री अनिल कुमार	जिला पंचायत सदस्य डख्याटगांव	अनिल कुमार

जिला पंचायत सदस्य
वार्ड-16 ...
जिला - उत्तरकाशी

Scanned by CamScanner

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :–प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी में ओडाटा से सरास मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सरास

तहसील पुरोला, जिला :– उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी में ओडाटा से सरास मोटर मार्ग का निर्माण। परियोजना के निर्माण हेतु (1.7325 है0 आरक्षित वन भूमि, 2.025 है0 सिविल सोयम भूमि -- है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 3.6385 है0 वन भूमि का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सिंचाई खण्ड पुरोला विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय मे ग्राम पंचायत सरास द्वारा दिनांक 16/5/16 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं।

उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सरास के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि पी0एम0जी0एस0वाई0 पुरोला प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच

प्रधान
ग्राम पंचायत
विकास ख
जनपद–उत्तर..

Scanned by CamScanner

प्रपत्र-23.1

दिनांक – 16.05.18 को ग्राम सभा की सामान्य बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम– सराम

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	मेहरचंद चौहान	[illegible]
2	समर सिंह	[illegible]
3	सुबे सिंह	[illegible] सिंह
4	सरदार सिंह	सरदार सिंह
5	नाहर सिंह	नाहर सिंह
6	सुरवीर सिंह	सुरवीर सिंह
7	सुन्दर सिंह	सुन्दर सिंह
8	दिनेश सिंह	Dinshsingh
9	जगत चौहान	M Chauhan
10	मोहन सिंह	[illegible] सिंह
11	रणवीर सिंह	[illegible] चौहान
12	मनवीर सिंह	S Chauhan
13	कपाल सिंह	[illegible] सिंह
14	नागर सिंह	[illegible]
15	अमर सिंह	P Chauhan
16	मोहर सिंह	[illegible] कुमार
17	प्रसाद सिंह	V Chauhan
18	प्रमोद सिंह	[illegible] चौहान
19	विनोद सिंह	गोपाल सिंह
20	गोविन्द सिंह	

प्रधान

ग्राम पंचायत [illegible]

विकास खण्ड [illegible]

जनपद [illegible]

Scanned with CamScanner

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
21	दिवान सिंह	दिवानसिंह
22	सुनिल सिंह	सुनिलसिंह
23	चुम्मा	सुकरा
24	हरपाल सिंह	हरपालसिंह
25	मोहन दास	मोहनदास
26	रोशन लाल	रोशनलाल
27	प्रवीन	Beena
28	सन्तलाल	प्रवीन
29	बलवीर सिंह	सन्त लाल
30	सुन्दर सिंह	सुन्दर सिंह
31	राजपाल सिंह	Rajpal [illegible]
32	रमेश सिंह	रमेश सिंह
33	हरिकृष्ण	हरिकृष्ण
34	उपेन्द्र सिंह	उपेन्द्र
35	मोहन सिंह	मोहन सिंह
36	लक्ष्मी देवी	लक्ष्मी देवी
37	कुन्ती चौहान	कुन्ती चौहान
38		कुमला नेगी
39	कुमला नेगी	
40		

प्रधान
ग्राम पंचायत [illegible]
[illegible]
जनपद–उत्तरकाशी

Scanned by CamScanner

प्रारूप -30.3

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी मे ओडाटा से सरास मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम 2006के अन्तर्गत अनापति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम - ओडाटा

तहसील- मोरी, जिला उत्तरकाशी

अनापति प्रमाण पत्र।

उत्तराखंड के जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी मे ओडाटा से सरास मोटर मार्ग का निर्माण। परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वनभूमि 1.7325 है0, सिविल सोयम भूमि 2.025 है0, वन पंचायत भूमि शुन्य है0) अर्थात कुल 3.8385 है0, वन भूमि का प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना सिचाई खण्ड पुरोला विभाग / संस्था के पक्ष मे भारत सरकार,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तीत करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय मे ग्राम पंचायत ओडाटा द्वारा दिनांक 16/05/16 को सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक मे प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध मे अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानो के तहत आवेदित वन भूमि मे आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासीयो द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि किसी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नही किया जा रहा हैं।इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासीयो के परम्परागत अधिकारो का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ओडाटा के ग्रामवासीयो को उक्त वन भूमि सिंचाई खण्ड पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 पुरोला प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतू दिये जाने पर कोई आपति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत
वि0 ख0 मोरी

प्रधान
ग्राम पंचायत ओडाटा
वि0ख0–मोरी (उत्तरकाशी)
ग्राम प्रधान

Scanned with CamScanner

प्रपत्र–23.1

दिनांक – 16/05/16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम– ओडाटा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	ज्योत सिंह	ज्योत सिंह
2	जय प्रकाश सिंह	JP Rawat
3	करतार सिंह	P Rawat
4	प्रदीप सिंह	[illegible]
5	अर्जुन सिंह	[illegible]
6	सुदवीर सिंह	M Chauhan
7	मेघा सिंह	भादर सिंह
8	भादर सिंह	कंचन सिंह
9	कंचन सिंह	अमर सिंह
10	अमर सिंह	महावीर सिंह
11	महावीर सिंह	[illegible]
12	सनीया	[thumb impression]
13	हीर दास	हीरदास
14	जोबन सिंह	जोबन लाल
15	मदन लाल	[illegible]
16	प्रेम लाल	[illegible]
17	गनी	गनी
18	रतीया	रतीया
19	बीजपाल	बीजपाल
20	सीरपाल	सीरपाल
21		
22		
23		
24		
25		

प्रधान
ग्राम पंचायत ओडाटा
विकास खण्ड मोरी
जनपद–उत्तरकाशी

Scanned by CamScanner